8214/रा० प०/दि० 18/02/2014

प्रेषक,

संख्या– 221 / 18(1)/2014–03(51)/2009

भास्करानन्द
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

501-भीमदत्त 6क

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषय:– कुमायूँ एवं गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को देय कतिपय भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को राजस्व विभाग के अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निवर्हन के साथ–साथ अपने हल्कों में अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान से संबंधित पुलिस विभाग के कर्तव्यों का भी निवर्हन करना होता है। अतः शासनादेश संख्या–477/18(1)/2011–3(51)/2009 दिनांक 09–09–2011, शासनादेश संख्या–1070/18(1)/2004 दिनांक 25–11–2004 एवं उ0प्र0 शासनादेश संख्या–4591/1–9–93–10–1(24)/92 टी0सी0 रा0–9 दिनांक 16–08–1993 के क्रम में श्री राज्यपाल, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को निम्नवत पुनरीक्षित स्टेशनरी भत्ता, गोशवारा भत्ता एवं कार्यालय किराया भत्ता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को मिल रहे स्टेशनरी भत्ता क्रमशः रू0 6/– एवं रू0 100/– प्रतिमाह के स्थान पर क्रमशः रू0 500/– (रू0 पांच सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगा।
2. राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को मिल रहे गोशवारा भत्ता क्रमशः रू0 20/– एवं रू0 60/– प्रतिमाह के स्थान पर क्रमशः रू0 250/– (रू0 दो सौ पचास मात्र) प्रतिमाह देय होगा।
3. राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) एवं राजस्व उप–निरीक्षक (पटवारी) को मिल रहे कार्यालय किराया भत्ता रू0 50/– प्रतिमाह के स्थान पर क्रमशः रू0 500/– (रू0 पांच सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगा।

2– उक्त भत्तों की यह पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

3– पुनरीक्षित स्टेशनरी भत्ता राजस्व विभाग के लेखपालों/राजस्व निरीक्षक (मैदानी) को भी अनुमन्य होगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के सुसंगत लेखा शीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 209/XXVII(7)/2014 दिनांक 08 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या– / 18(1)/2014–03(51)/2009, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8 वित्त अनुभाग–5/7
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(भास्करानन्द)
सचिव